संख्या– 35 / 1–11–2015–1(जी) / 2015 टीसी

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 05 जून, 2015

विषयः– ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि ओलावृष्टि से हुई कृषि फसलों की क्षति के बिन्दु पर विधान मण्डल सत्र के दौरान मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि दैवीय आपदा के कारण असामयिक मृत्यु पर भारत सरकार के मानक के अनुसार दी जा रही धनराशि रू0 1.50 लाख के अतिरिक्त रू0 3.50 लाख की धनराशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त कृषि निवेश अनुदान हेतु भारत सरकार के निर्धारित मानक दरों के समतुल्य धनराशि प्रभावित/पीड़ित किसानों को राज्य सरकार द्वारा भी अतरिक्त रूप से दिये जाने की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी थी। उक्त घोषणा के अनुपालन में शासनादेश संख्या– 177/1–11–2015–1(जी)/2015 दिनांक 18.03.2015 निर्गत किया गया है।

2. भारत सरकार के आदेश संख्या–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनॉक 08.04.2015 द्वारा मानक एवं दरों को संशोधित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा संशोधित मानक एवं दरें दिनॉक 01.04.2015 से प्रभावी है, जिसे फरवरी एवं मार्च 2015 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिये भी लागू किया गया है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या– 177/1–11–2015– 1(जी)/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा संशोधित मानक एवं दरों को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निम्नानुसार जन–हानि एवं कृषि निवेश अनुदान हेतु राहत प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

भारत सरकार के नवीनतम मानकों एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता का विवरण

कृषि निवेश अनुदान (जहॉ पर फसल का नुकसान 33 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो):–

मद	भारत सरकार द्वारा नवीनतम मानकों के अनुसार दी जाने वाली सहायता का विवरण	भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अधिकतम दो हेक्टेयर तक दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता का विवरण
1	2	3
कृषि निवेश अनुदान	• रू0 6,800/– प्रति हैक्टेयरः वर्षा असिंचित क्षेत्र में। • रू0 13,500/– प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में। • रू0 18000/– प्रति हैक्टेयर बारहमासी फसलों के लिये। • लघु किसानों को न्यूनतम भू–भाग पर भी सिंचित/असिंचित क्षेत्र के लिये सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रू0 1000/– तथ बारहमासी फसलों के लिये	• रू0 2,200/– प्रति हैक्टेयरः वर्षा असिंचित क्षेत्र में। • रू0 4,500/– प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में। • रू0 6000/– प्रति हैक्टेयर बारहमासी फसलों के लिये। • लघु किसानों को न्यूनतम भू–भाग पर भी सिंचित/असिंचित क्षेत्र के लिये सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रू0 500/– तथा बारहमासी फसलों के लिये कोई

	न्यूनतम रू0 2000/– होगी। ●रू0 4,800/– प्रति हैक्टेयर : इरी, मलबरी, और टसर के लिये। ●रू0 6,000/– प्रति हैक्टेयर मूगा के लिये।	अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी। ●रू0 1600/– प्रति हैक्टेयर : इरी, मलबरी, और टसर के लिये। ●रू0 2000/– प्रति हैक्टेयर मूगा के लिये।
जन हानि हेतु अहैतुक सहायता	**भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का विवरण**	**राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता का विवरण**
	रू0 4.00 लाख प्रति मृतक	रू0 3.00 लाख प्रति मृतक

3. राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता की उक्त व्यवस्था माह फरवरी, 2015 से अप्रैल, 2015 तक प्रभावित किसानों के लिए ही प्रभावी रहेगी।

4. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के व्यय लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय में धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा राज्य सरकार की ओर से किसानों को अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के लिये लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-04-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायाता–42-अन्य व्यय" में अलग से स्वीकृत की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशियों का व्यय विवरण अलग–अलग रखा जायेगा तथा इसका उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

5. कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार/लेखा एवं हकबंदी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त मुख्य/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी राहत आयुक्त संगठन।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/वित्त (लेखा) अनुभाग–1
5. राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त